UPMO010002362025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, मुरादाबाद
उपस्थित–शैलेन्द्र वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) ID N0.-UP6426
सत्र परीक्षण संख्या 30/2025

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वादी/अभियोजन

बनाम

मोनू गुप्ता उर्फ लक्की पुत्र नन्द किशोर निवासी–शिव मंदिर वाली गली जयंतीपुर थाना मझौला जिला मुरादाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–1023/2024
धारा–8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद

–निर्णय–

1– पुलिस थाना–सिविल लाईन मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1023/2024, अन्तर्गत धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के मामले में अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2025 को प्रसंज्ञान लिया गया। तदोपरांत अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की का इस न्यायालय द्व ारा यह विचारण किया जा रहा है।

2– फर्द बरामदगी/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2024 को उ0नि0 सुनील राठी मय हमराहीगण हे0कां0 सचिन कुमार, हे0कां0 1161 ऋषिपाल, हे0कां0 588 रोहताश के थाना हाजा से रपट न० 89 समय 20.39 बजे रवाना होकर देखरेख शान्ति व्यवस्था रात्रि गश्त व तलाश वांछित अभियुक्त चौकी क्षेत्र हरथला में मामूर थे, जैसे ही गश्त करते हुए पुलिस वाले हिमगिरी कालोनी की ओर से आते हुए ई.वी.एम. केन्द्र के सामने पहुंचे तो पुलिस वालो को देखकर एक पैदल आता दिखायी दिया। शक होने पर उस व्यक्ति को सदर तहसील की दीवार के पास पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपनना नाम मोनू गुप्ता उर्फ लक्की पुत्र नन्द किशोर बताया और बताया कि उसके पास अफीम है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त मोनू गुप्ता को अवगत कराया गया कि यदि आपके पास अफीम है तो आपको यह विधिक अधिकार है कि धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधान के तहत अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा लिवा सकते है, तो उपोक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिये। इस पर वादी मुकदमा द्वारा क्षेत्राधिकारी सिविल लाईनर के सी0यू0जी0 नं0 पर सम्पर्क करने का प्रयास किया तो सम्पर्क नहीं हो सका। बमजबूरी मोनू गुप्ता उर्फ लक्की निवासी उरोक्त से सहमति प्राप्त कर तलाशी ली तो दाहिने हाथ में काली पन्नी में रखी तारकोल नुमा अफीम बरामद हुई इसे सूंघकर

देखा वहमराहियान को सूंघाया तो अफीम की गंध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से अफीम रखने का लाइसेंस तलब किया तो दिखाने में कासिर रहा। बरामद अफीम को विवेचना किट से इलेक्ट्रॉनिक कांटे को निकालकर तौला गया तो बरामद अफीम का वजन 275 ग्राम आया। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी।

3– उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1023/2024, धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मन :प्रभावी अधिनियम का अभियोग, थाना–सिविल लाईन जिला–मुरादाबाद पर पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा सर्वप्रथम वादी की तहरीर का अंकन केस डायरी में किया गया। घटना का नक्शा–नजरी तैयार किया गया। बयान वादी व एफ०आई०आर० लेखक के बयान अंकित किये गये। विवेचना के दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी की फर्द का अंकन केस डायरी में किया गया तथा फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी के गवाहान के बयान लेखबद्व किये गये, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त की तथा विवेचक द्वारा विवेचना की अन्य विधिक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की के विरूद्ध धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का प्रथम दृष्टया आरोप पाते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4– अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 20.02.2025 को धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया तथा समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 कां0 सेठपाल सिंह व पी0डब्लू0–02 हे0कां0 ऋषिपाल सिंह को शपथ पर परीक्षित कराया गया है। साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्र साबित किये गये तथा अभियोजन प्रपत्रों का समर्थन किया गया है। अभियोजन द्वारा साबित प्रपत्रों में चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–1 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–02 है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

6– इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि जेलर, जिला कारागार मुरादाबाद द्वारा अग्रसारित है। अभियुक्त का अपराध संस्वीकृति कथन एवं बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान अपराध संस्वीकृति में घटना को सही बताते हुए उससे 275 ग्राम अफीम होना स्वीकार किया है तथा उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने का कथन किया। अभियुक्त का बयान अपराध संस्वीकृति अंकित किया गया, जिसमें उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने का कथन किया। अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष न करवाकर, पुलिस अधिकारी से करवाने हेतु सहमति देने का कथन किया और कहा कि "मैं गरीब हूं। परिवार में बूढे माता पिता है। एक छोटा भाई है। पत्नी नहीं है दो बेटी है, एक 14 वर्ष की है तथा एक 8 वर्ष की है। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। परिवार में मेरे अतिरिक्त कोई कमाने वाला नहीं है। अब कोई अपराध नहीं करूंगा। शांतिपूर्वक जीवन यापन करूंगा। मुझे जेल में बितायी गयी अवधि पर छोड़ दिया जाए।" अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने घटना को सही बताया और अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी0डब्लू0–02 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि सही बयान दिया। मुकदमा सही चलना कहा और सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुए कथन किया कि वह गरीब है। कोई पैरोकर नहीं है। अब कोई अपराध नहीं करेगा।

लगभग एक वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध है। जेल में बितायी अवधि पर छोड़ दिया जाये।

7– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

8– अभियोजन के अनुसार इस मामले का कथानक यह है कि दिनांक 09.11.2024 को उ0नि0 सुनील राठी मय हमराहीगण हे0कां0 सचिन कुमार, हे0कां0 1161 ऋषिपाल, हे0कां0 588 रोहताश के थाना हाजा से रपट न० 89 समय 20.39 बजे रवाना होकर देखरेख शान्ति व्यवस्था रात्रि गश्त व तलाश वांछित अभियुक्त चौकी क्षेत्र हरथला में मामूर थे, जैसे ही गश्त करते हुए पुलिस वाले हिमगिरी कालोनी की ओर से आते हुए ई.वी.एम. केन्द्र के सामने पहुंचे तो पुलिस वालो को देखकर एक पैदल आता दिखायी दिया। शक होने पर उस व्यक्ति को सदर तहसील की दीवार के पास पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपनना नाम मोनू गुप्ता उर्फ लक्की पुत्र नन्द किशोर बताया और बताया कि उसके पास अफीम है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त मोनू गुप्ता को अवगत कराया गया कि यदि आपके पास अफीम है तो आपको यह विधिक अधिकार है कि धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधान के तहत अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा लिवा सकते है, तो उपोक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिये। इस पर वादी मुकदमा द्वारा क्षेत्राधिकारी सिविल लाईनर के सी0यू0जी0 नं0 पर सम्पर्क करने का प्रयास किया तो सम्पर्क नहीं हो सका। बमजबूरी मोनू गुप्ता उर्फ लक्की निवासी उरोक्त से सहमति प्राप्त कर तलाशी ली तो दाहिने हाथ में काली पन्नी में रखी तारकोल नुमा अफीम बरामद हुई इसे सूंघकर देखा वहमराहियान को सूंघाया तो अफीम की गंध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से अफीम रखने का लाइसेंस तलब किया तो दिखाने में कासिर रहा। बरामद अफीम को विवेचना किट से इलेक्ट्रॉनिक कांटे को निकालकर तौला गया तो बरामद अफीम का वजन 275 ग्राम आया। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी।

9– अभियोजन की ओर से अपने उक्त कथन को साबित करने हेतु साक्षी पी०डब्लू०–1 कां0 सेठपाल सिंह व पी0डब्लू0–02 हे0कां0 ऋषिपाल सिंह को शपथ परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 ने अभियोजन कथानक का सर्मथन करते हुए चिक एफ0आई0 को प्रदर्श क–1 व कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। साक्षी पी0डब्लू0–02 द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन सहमति पत्र, गिरफ्तारी मेमो तौल पर्ची, फर्द बरामदगी को साबित किया है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

10– अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की पर अंर्तगत धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का आरोप लगाया गया है। विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियुक्त से बरामद पदार्थ अफीम होना कहा गया है। अभियोजन द्व ारा परीक्षित कराये गये उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी0डब्लू0–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन प्रपत्रों का समर्थन करते हुए अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को सही बताया, गवाह द्वारा सही साक्ष्य देना कहा तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना किया। विचारण के दौरान ही अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।

अभियुक्त ने अपने अपराध की संस्वीकृति करते हुए घटना को सही बताया और अपने कब्जे से 275 ग्राम अफीम की बरामदगी स्वीकार की है और उसने बिना किसी दबाव के स्वेच्छया जुर्म इकबाल करने का कथन किया है। साथ–ही–साथ उसने कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी है कि जुर्म इकबाल करने पर सजा हो सकती है। अभियुक्त के द्वारा की गयी अपराध संस्वीकृति बिना किसी दबाव स्वैच्छिक है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियुक्त द्वारा की गयी अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की उपरोक्त अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11– अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की पुत्र नन्द किशोर को सत्र परीक्षण संख्या–30/2025, मुकदमा अपराध संख्या–1023/2024, अन्तर्गत धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद, के अभियोग में जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है और जेल से तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर लंच बाद सुनवाई हेतु पेश हो।

(शैलेन्द्र वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6426

दिनांक–02.01.2026

12– पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर लंच बाद सुनवाई हेतु पेश हुई।

13– दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया कि "मैं गरीब हूं। परिवार में बूढे माता पिता है। एक छोटा भाई है। पत्नी नहीं है दो बेटी है, एक 14 वर्ष की है तथा एक 8 वर्ष की है। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी ऊपर है। परिवार में मेरे अतिरिक्त कोई कमाने वाला नहीं है। अब कोई अपराध नहीं करूंगा। शांतिपूर्वक जीवन यापन करूंगा। मुझे जेल में बितायी गयी अवधि पर छोड़ दिया जाए।" अभियुक्त के पास से अफीम बरामद होना कहा गया है तथा तोल पर्ची अनुसार बरामद अफीम का वजन 275 ग्राम है जो कि वाणिज्यिक मात्रा से कम है और अल्प मात्रा से अधिक है। अतः उसको कम से कम दण्ड अथवा जेल में बतायी गयी अवधि के दण्ड से दण्डित करते हुए रिहा करने की कृपा करें। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

14– अभियुक्त के कब्जे से 275 ग्राम अफीम बरामद होने का आरोप है। अफीम की अल्प मात्रा 25 ग्राम एवं वाणिज्यिक मात्रा 2500 ग्राम है। अभियुक्त के कब्जे से 275 ग्राम अफीम बरामद होन का आरोप है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है और अल्प मात्रा से थोडी अधिक है और जहाँ मामला वाणिज्यिक मात्रा से कम किन्तु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से सम्बंधित है, वहाँ कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जा सकेगा। मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में व अभियुक्त द्वारा मामले में की गयी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति तथा बरामद माल की मात्रा व अभियुक्त की सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि आदि को दृ

ष्टिगत रखते हुए, मेरी राय में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की को 13 माह के कठोर कारावास एवं मु०–5000 /–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होता है।

दण्डादेश

15– अभियुक्त मोनू गुप्ता उर्फ लक्की पुत्र नन्द किशोर को सत्र परीक्षण संख्या–30/2025, मुकदमा अपराध संख्या–1023/2024, अन्तर्गत धारा–8/18 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद के मामले में 13 माह के कठोर कारावास एवं मु०–5000–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता है। अर्थदण्ड़ न अदा करने की दशा में अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

16– अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण जेल में बिताई अवधि दण्डादेश में समायोजित की जाएगी।

17– अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर उसे अविलम्ब जिला कारागार मुरादाबाद, प्रेषित किया जाये।

18– अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये एवं निर्णय की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद को भी प्रेषित की जाये।

19– अभियुक्त के पास से बरामदशुदा माल मुकदमाती, बाद मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निस्तारित किया जावेगा।

(शैलेन्द्र वर्मा)
दिनांक–02.01.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6426

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(शैलेन्द्र वर्मा)
दिनांक–02.01.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6426